www.bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

(प्रधान कार्यालय, बड़ौदा भवन, अलकापुरी, वडोदरा)
कॉर्पोरेट कार्यालय: बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई, सी–26, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

23वीं वार्षिक सामान्य बैठक, बही बन्दी और रिमोट ई–वोटिंग के लिए नोटिस

बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा सामान्य (शेयर्स और बैठक) अधिनियम, 1998 के अधिनियम 12 के साथ पठित 56(आई) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार, 27 जून, 2019 को प्रात: 10.00 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह, कैलाश पार्टी प्लॉट के सामने, आजवा चौकड़ी के पास, आजवा रोड, वडोदरा– 390019 में आयोजित की जाएगी जिसमें व्यवसाय के संचालन जो कि दिनांक 22 मई, 2019 की बैठक के नोटिस में निहित विषयवस्तु अर्थात सामान्य व्यवसाय –1) 31 मार्च, 2019 को बैंक के तुलन पत्र और संबंधित मदों पर चर्चा, अनुमोदन और स्वीकार करने; 2) विशेष व्यवसाय – विशेष संकल्प द्वारा– इक्विटी पूंजी को बढ़ाने हेतु पूंजी आयोजन का अनुमोदन करने; 3) विशेष व्यवसाय – विशेष संकल्प द्वारा बॉब–ईएसपीएस के तहत बैंक के कर्मचारियों को 15,00,00,000 इक्विटि शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन दिया जाएगा.

शेयरधारकों को आगे सूचित किया जाता हैः

1. पात्र शेयरधारकों को एजीएम नोटिस अनुमत माध्यम/ ईमेल के द्वारा पहले ही प्रेषित कर दिया गया है. इसकी एक प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.bankofbaroda.com एवं ई वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट अर्थात् https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है.
2. शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक का शेयर ट्रांसफर रजिस्टर दिनांक 20 जून 2019 से 27 जून 2019 (दोनों दिनों सहित) तक 23वीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए बंद रहेंगे.
3. बैंक लागू नियमों / विनियमों के अनुसार शेयरधारकों को नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराता है जिसके लिए बैंक ने कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड का नियोजन ई–वोटिंग एजेंसी के रूप में किया है.
4. रिमोट ई–वोटिंग की अवधि सोमवार 24 जून 2019 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू होगी एवं बुधवार 26 जून 2019 को शाम 5.00 बजे तक जारी रहेगी. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी. कट–ऑफ तारीख 19 जून 2019 होगी एवं बैंक के शेयरधारक जिनके पास कट–ऑफ तारीख में भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयर हैं, केवल वे ही इस रिमोट ई–वोटिंग (यूआरएल https://evoting.karvy.com पर लॉग इन द्वारा) / बैठक में वोटिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
5. बैठक में बैंक कार्यसूची की मदों पर वोटिंग भी करवाएगा. शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है वे एजीएम के दौरान वोटिंग में भाग ले सकते हैं. जिन शेयरधारकों ने ई–वोटिंग के माध्यम से वोट दे दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं पर दोबारा वोट देने के लिए पात्र नहीं होंगे.
6. यदि कोई व्यक्ति एजीएम नोटिस प्रेषण के बाद परंतु ई वोटिंग की कट–ऑफ तारीख अर्थात 19 जून 2019 को या उससे पहले बैंक का शेयरधारक बना है तो वह ई–मेल आईडी evoting@karvy.com पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कार्वी को अनुरोध भेज सकता है. जिन नए शेयरधारकों की ई–मेल आईडी उपलब्ध है कार्वी उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्रेषित करने का प्रयास करेगा.
7 रिमोट ई–वोटिंग एवं बैठक की वोटिंग के समेकित परिणाम दो दिनों के भीतर बैंक और कार्वी की वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को भी दी जाएगी.
8 रिमोट ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने के मामले में, शेयरधारक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध प्रयोक्ता मैन्युअल का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं या श्री एस वी राजू उमप्र, कार्वी फिनटेक प्रा.लि., (यूनिट– बैंक ऑफ़ बड़ौदा), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032 या **raju.sv@karvy.com** या फोन नं. 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टॉल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा
पी एस जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई
दिनांक :04.06.2019